न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 69/2008 (225 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

रामसहाय पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. आदित्य पुत्र विष्णु कुमार नाबालिग जरिये वली कमलेश पत्नि विष्णु कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेण्ट

2. श्रीमती राजेश्वरी पत्नि नरेन्द्र सिंह
3. श्रीमती कमलेश पत्नि धनीराम

} जाति जाट नि0 नयागॉव खुर्द तह0 बयाना जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :— 70/2008 (225 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

रामसहाय पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

बनाम

1. विष्णु कुमार दत्तक पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

2. लक्ष्मीनारायण
3. दिनेश
4. सुरेश
5. उमेश

} पिसरान श्री जगदीश

6. चन्द्रभान
7. ओमप्रकाश
8. श्रीभान
9. रज्जो उर्फ राजेन्द्र

} पिसरान श्री हरीश उर्फ हरीराम

} सभी जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2008 प्रकरण संख्या 43/08 उनवानी आदित्य बनाम रामससहाय एवं 51/07 उनवान विष्णु कुमार बनाम रामसहाय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

उपस्थित :—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री तालेराम एडवोकेट रैस्पो0 ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :—02.02.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 23.09.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य, पक्षकार एवं विवादित भूमि एक समान हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0/वादी आदित्य कुमार ने एक वाद, सख्या 43/08 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी/अपीलाण्ट रामसहाय को कोई सन्तान नहीं है। रामसहाय ने मेरे पिता विष्णु कुमार शर्मा को एक साल की उम्र, सन् 1984 में तमाम गोद लेने की रस्म अदा करते हुए, गोद लिया जाकर दिनांक 21.04.2004 को रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीकृत हुआ। किन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट रामसहाय अपनी जायदाद को अनावश्यक रूप से अनैतिक कार्यो के लिए खर्च कर रहा है एवं यहॉ तक की घर में नहीं रहने दे रहा है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने दिनांक 09.03.2008 को सरे आम एलानियॉ धमकी दी कि मैं गोदनामा को भी कैंसिल करवा दूँगा, और तुमको दर—दर का भिखारी कर दूँगा एवं सारी चल व अचल सम्पत्ति को विक्रय कर दूँगा। विवादित आराजी पूर्वजो की छोडी हुई पुश्तैनी खातेदारी की जमीन है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी सम्पत्ति में मेरा पैदायशी 1/2 हिस्सा बनता है, उसका मैं खातेदार काश्तकार हूँ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. दूसरा वाद, संख्या 70/08 असल रैस्पो0/वादी विष्णु कुमार द्वारा उन्हीं खसरा नम्बरान को लेकर बाबत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि असल रैस्पो0/वादी विष्णु कुमार, अपीलाण्ट/प्रतिवादी रामसहाय का दत्तक पुत्र है। रामसहाय ने अपना वंश चलाने के लिए उसकी नाबालिग अवस्था में यानि लगभग एक साल की आयु में अपनी जाति बिरादरी के सामने, हिन्दु धर्म की रीतिरिवाज अनुसार सन् 1984 में वमुकाम कनावर तहसील बयाना में गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया। गोद जाने के पश्चात् से ही प्रतिवादी/अपीलाण्ट रामसहाय के साथ—साथ तमाम आराजी व अन्य चल अचल सम्पत्ति में हक हकूक प्राप्त हो गये हैं, जिस प्रकार औसत पुत्र को प्राप्त होते हैं। प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने अपनी पत्नि प्रेमलता की सहमति से दिनांक 21.04.2004 को वमुकाम बयाना एक गोदनामा तहरीर करवाकर उपपंजीयक बयाना के यहॉ तस्दीक करा दिया। असल रैस्पो0/वादी सन् 1984 से लेकर आज तक अपीलाण्ट/प्रतिवादी रामसहाय के साथ—साथ उसकी खातेदारी की तमाम आराजी व अन्य चल अचल सम्पत्ति पर वहैसियत मालिक/खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। विवादित आराजी प्रतिवादी/अपीलाण्ट रामसहाय के पिता रामजीलाल यानी असल रैस्पो0/वादी के दादा की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें असल रैस्पो0/वादी का 1/2 हिस्से के हकूक सहखातेदारी काश्तकारी प्राप्त हैं। किन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी से रैस्पो0/वादी के हकूक खातेदारी काश्तकार के उपयोग उपभोग से वंचित करने पर आमदा हो गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त दोनों निर्णय दिनांक 23.09.2008 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 69/2008 उनवान रामसहाय बनाम आदित्य एवं 70/2008 उनवान रामसहाय बनाम विष्णु कुमार इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट ने विष्णु कुमार को कभी गोद नहीं लिया व तथा कथित गोदनामा दिनांक 21.04.2004 एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। जमाबन्दी एक सरकारी दस्तावेज है जिसे रैस्पोडेण्ट भी स्वीकार करता है अतः उसके आधार पर प्रथम दृष्टया केस, कब्जा तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का बिन्दु तय किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सर्वमान्य दस्तावेज जमाबन्दी को नजरअन्दाज करते हुए एक संदिग्ध दस्तावेज को विवादित भूमि बाबत् आधार मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट पैतृक सम्पत्ति का एक मात्र सोल सरवाईवल मैम्बर है व उसके पिता की मृत्यु के वक्त उसके साथ कोई हमवारिस उसके पिता का अपीलाण्ट के अलावा नहीं था तथा वह सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति का एक मात्र वारस था। विवादित आराजी पर हमेशा अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है तथा आज तक काबिज है। रैस्पो0 असल का कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि किसी भी प्रकार के पुत्र को पिता के विरूद्ध कृषि भूमि से सम्बन्धित हिस्सेदारी या खातेदारी का दावा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर लाने का अधिकार नहीं है एवं एक रिकार्डेड खातेदार को भी किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.2008 को अपास्त करते हुए, दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट ने असल रैस्पो0 को विधिवत तरीके से सभी परिवारजनों की सहमति से गोद लिया था। गोदनामा दिनांक 21.04.2004 एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। उक्त गोदनामें के अनुसार असल रैस्पो0, अपीलाण्ट का दत्तक पुत्र है एवं दत्तक पुत्र होने की सूरत में रैस्पो0 को अपीलाण्ट की भूमि में वहैसियत पुत्र सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने उक्त गोदनामें को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। किन्तु किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 बयाना(भरतपुर) में कथित गोदनामें को निरस्त कराने हेतु दावा किया था। उक्त दावा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2014 को खारिज कर गोदनामा बहाल रखा गया है। अपने तर्को के समर्थन में रैस्पो0 अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार उपमन द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 बयाना(भरतपुर) का आदेश दिनांक 19.05.2014 की प्रमाणित प्रति के साथ–साथ न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1987 पेज 71, 1993 पेज 206, आर0 बी0 जे0 (7) 2000 पेज 483, आर0बी0जे0(12) 2005 पेज 405 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने रैस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 बयाना(भरतपुर) के आदेश दिनांक 19.05.2014 के खण्डन में, उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश के विरूद्ध अपील के दस्तावेज एस0बी0 सिविल अपील संख्या 374/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

9. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए, अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कथित गोदनामा दिनांक 21.04.2004 को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज होना कथन करते हैं। रैस्पो0 इसे चुनौती देते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गोदनामें की वैधता/अवैधता सिद्ध नहीं होने तक प्रतिवादी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 बयाना(भरतपुर) द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2014 से गोदनामा बाबत् दावा अस्वीकार किया जाकर गोदनामा दिनांक 21.04.2004 को सही माना है, जिसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कथित गोदनामें बाबत् अपील के विचाराधीन रहते एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2033–36 एवं 2061–64 वाके ग्राम कनावर के अवलोकन से, विवादित भूमि का पैतृक सम्पत्ति होना स्पष्ट है। अतः प्रथम दृष्टया वादी/रैस्पो0 का केस बनता है एवं सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी वादी/रैस्पो0 के पक्ष में जाहिर है। चूंकि पक्षकारान के अधिकार वाद में तनकियों की विधिक विवेचना के उपरान्त ही तय होगें। अतः हमारी दृष्टि में दौरान वाद, विवादित भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थगन निरापद है। लिहाजा हम दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 23.09.2008 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official